न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(एम.पी./एम.एल.ए.)/अपर सत्र न्यायाधीश

<u>कक्ष संख्या–1, भदोही।</u>

उपस्थितः– पुष्पा सिंह
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे.ओ.कोड–यू.पी.01588

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.010010382012

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. संदीप सिंह उर्फ पिन्टू उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व०राजेन्द्र सिंह
   निवासी सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर।
2. उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व०तहसीलदार सिंह
   निवासी सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर।
3. प्रमोद शुक्ला उम्र 40 वर्ष पुत्र शिव प्रसाद शुक्ला
4. रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह (मृतक)निवासी सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर।

.....अभियुक्तगण।

एवं

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.010008462012

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू उम्र 54 साल
   पुत्र रणजीत सिंह, निवासी पूरेगोसाईंदास
   थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही।
2. वीरेन्द्र सिंह उम्र 43 पुत्र स्व०शम्भू सिंह
   निवासी सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर।
3. योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू, उम्र 38 साल पुत्र स्व०बृजेश शुक्ला
   निवासी सैदाबाद, थाना–हण्डिया, जनपद–प्रयागराज
4. तवरेज उम्र 46 साल पुत्र हसनउल्ला खाँ
5. राजेन्द्र बहादुर सिंह (मृतक) निवासी बुन्देलखण्डी, थाना–शहर कोतवाली, जिला–मिर्जापुर।

.....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–702 सन् 2006
धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम
<u>थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही।</u>

निर्णय

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012, संदीप सिंह उर्फ पिन्टू एवं तीन अन्य तथा विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012, राज्य बनाम नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू एवं चार अन्य एक ही अपराध, मुकदमा अपराध संख्या–702 सन् 2006, धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना गोपीगंज, जनपद भदोही से सम्बन्धित होने के कारण दोनों विशेष सत्र परीक्षण की पत्रावलियों में सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है। दिनांक 08.09.2016 को इस न्यायालय द्वारा दोनों पत्रावलियों को समेकित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

2. प्रस्तुत दाण्डिक विशेष सत्र परीक्षण 34 सन् 2012, राज्य बनाम नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू में अभियुक्तगण–नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू पुत्र रणजीत सिंह, निवासी पूरे गोसाईंदास, थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही, वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० शम्भू सिंह, निवासी सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू, पुत्र स्व०बृजेश शुक्ला, निवासी सैदाबाद, थाना–हण्डिया, जनपद–प्रयागराज तवरेज उम्र 46 साल पुत्र हसनउल्ला खाँ, निवासी बुन्देलखण्डी, थाना–शहर कोतवाली, जिला–मिर्जापुर तथा विशेष सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012 राज्य बनाम संदीप सिंह उर्फ पिन्टू में अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह, उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र स्व०तहसीलदार सिंह एवं प्रमोद शुक्ला पुत्र शिव प्रसाद शुक्ला, निवासीगण सेमरा, थाना–चिल्ह जिला–मिर्जापुर के विरूद्व थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–702 सन् 2006, धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रस्तुत प्रकरण का संपूर्ण विवरण प्रारुप में संक्षेप में निम्नवत है–

अपराध कारित किए जाने का दिनांक	अदम तहरीर
न्यायालय में अभियुक्तगण पिंटू उर्फ संदीप सिंह,	दिनांक 04.12.2007

डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह एवं रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह एवं प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने का दिनांक	
नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू उर्फ डब्बू, राजेन्द्र बहादुर सिंह व तवरेज खाँ	दिनांक 01.07.2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक व समय	30.11.2006 समय 18.30 बजे
सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में अभियुक्त रिंकू उर्फ अरविन्द के विरुद्ध आरोप विरचन का दिनांक	31.07.2015
सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में अभियुक्तगण पिंटू उर्फ संदीप सिंह, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह व प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध आरोप विरचन का दिनांक	27.07.2015
सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू उर्फ डब्बू, राजेन्द्र बहादुर सिंह व तवरेज खां के विरुद्ध आरोप विरचन का दिनांक	01.09.2015
सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	05.05.2016
सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	01.04.2016
सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 एवं सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में अभियुक्तगण कथन अंकित करने का दिनांक	14.01.2026
अभियुक्त की दलील	20.03.2026
पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित रखने का दिनांक	30.03.2026
निर्णय का दिनांक	31.03.2026
दण्डादेश पारित करने का दिनांक, यदि कोई हो	निल

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा

थानाध्यक्ष हरिहरनाथ मिश्र ने दिनांक 30.11.2006 को समय 18.30 बजे थाना गोपीगंज पर लिखित तहरीर देकर कथन किया कि पिन्टू सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र स्व०राजेन्द्र सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह, मिर्जापुर गिरोह बंद तथा समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहने वाला कुख्यात दुस्साहसिक है जो वर्तमान समय जनपद मिर्जापुर जेल में निरुद्ध है तथा जेल से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 तथा 22 में (वर्णित) परिभाषित अपराधों को अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के भौतिक तथा आर्थिक लाभ के लिए किया करता है गैंग लीडर तथा उसके गैंग के सदस्यों का आम जनता में इतना भय है कि गैंग के लीडर तथा सदस्य के विरुद्ध सामान्य सूचना देने, रिपोर्ट लिखाने तथा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है। पिन्टू उर्फ संदीप सिंह आदि द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों क्रमशः डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह पुत्र स्व०तहसीलदार सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह जिला मिर्जापुर जो इस समय लखनऊ जेल में है की मदद से नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू पुत्र रणजीत सिंह निवासी गोसाईंदासपुर थाना ज्ञानपुर, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू उर्फ डब्बू पुत्र स्व० बृजेश शुक्ला निवासी सैदाबाद थाना हण्डिया, इलाहाबाद, लल्लन मिश्र पुत्र दीनानाथ मिश्र निवासी खेदोपुर थाना कोइरौना, भदोही, तवरेज पुत्र हसनू निवासी बुन्देल खण्डी, थाना–शहर कोतवाली, जिला–मिर्जापुर, रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह निवासी मझमेटिया थाना कैंट, वाराणसी, वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व०शम्भूनाथ सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह मिर्जापुर, प्रमोद कुमार शुक्ला पुत्र शिव प्रसाद शुक्ला निवासी सेमरा थाना चील्ह मिर्जापुर, महेन्द्र सिंह पुत्र चेत सिंह निवासी कल्याणपुर थाना कैंट वाराणसी व राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० लालबहादुर सिंह निवासी सायर अर्जुनपट्टी थाना औराई भदोही के साथ संगठित गिरोह, विजय मिश्रा विधायक ज्ञानपुर की हत्या की योजना बनाया तथा योजना का कार्य रूप देने के लिए अपने गैंग के सदस्यों को कस्बा गोपीगंज में हत्या की नियत से भेजा गया लेकिन विजय मिश्रा विधायक की हत्या के लिए आगे बढ़ते हुए गैंग के सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़ हो जाने के कारण मौके पर गैंग के नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू तथा योगेन्द्र

शुक्ला उपरोक्त गिरफ्तार हुए तथा नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू के पास से एक अदद 9MM स्टेनगन मय मैग्जीन जिसमें 220 कारतूस तथा 68 खोखा कारतूस 9MM एक अदद शक्तिशाली बम तथा मारुति जेन से तीन अदद तीस कारबाईन रायफल जिन्दा कारतूस तथा एक थैली 48 राउन्ड जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307, 120B भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट तथा मुकदमा अपराध संख्या–655 सन् 2006 धारा–25/27 आयुध अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या–656 सन् 2006, धारा–5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत हुआ तथा गैंग के सदस्य योगेन्द्र शुक्ला के पास से एक अदद 465 बोर रिवाल्वर व 17 जिन्दा कारतूस तथा दो खोखा कारतूस 465 बोर बरामद हुआ, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–657 सन् 2006, धारा–25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ। विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 30.11.2006 को उपरोक्त अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त घटना के अलावा गैंग के सदस्य तवरेज आदि ने अपने साथियों के साथ दिनांक 08.04.2000 को सी०एम०ओ०आफिस के पास ज्ञानपुर में आजाद अली निवासी पुरानी बाजार के पास चाँदी सोने का गहना की लूट के दौरान फायरिंग करके मौके पर एजाज की मृत्यु कर दी तथा अन्य लोग घायल हुए प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या–84 सन् 2000 धारा–396, 302, 412 भारतीय दण्ड संहिता में तवरेज सहित उसके साथियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–A34 दिनांक 15.05.2000 को प्रेषित हुआ जो विचाराधीन न्यायालय है, गैंग के सदस्य वीरेन्द्र सिंह तथा प्रमोद शुक्ला उपरोक्त ने दिनांक 13.07.2004 को अष्टभुजा वाहन स्टैण्ड पर पैसा वसूलने के प्रकरण में बऊ उर्फ कैलाश की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके प्रकरण में कैलाश परिवार निवासी अरौठी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 272/04, धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत हुआ विवेचना से गैंग के सदस्यों सहित सहअभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 28.11.2004 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो विचाराधीन है। गैंग के सदस्य महेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा अपने

साथियों सहित दिनांक 24.04.2006 को रामचन्दर यादव की सम्पत्ति विवाद में हत्या करवा दिया, जिसके सम्बन्ध में मृतक रामचन्दर की पत्नी शकुन्तला देवी निवासिनी चन्द्रा चौराहा आशापुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–59 सन् 2006, धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत कराया गया विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 21.07.2006 को आरोप–पत्र धारा–302, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता में प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस गैंग के आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप से शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। पिन्टू उर्फ संदीप सिंह व उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही का विधिक औचित्य पाकर गैंग लीडर तथा गैंग के सदस्यों का गैंग चार्ट दिनांक 30.11.2006 को पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 30.11.2006 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। अतः पिन्टू उर्फ संदीप सिंह तथा उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध धारा–3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. वादी मुकदमा थानाध्यक्ष हरिहरनाथ मिश्र की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–गोपीगंज में दिनांक 30.11.2006 को समय 18.30 बजे मु०अ०सं०–702 सन् 2006 अंतर्गत धारा–3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह, नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू, लल्लन मिश्रा, तवरेज, रिन्कू उर्फ अरविन्द सिंह, बीरेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार शुक्ला, महेन्द्र सिंह व राजेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना विवेचक के द्वारा अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह, रिन्कू उर्फ अरविन्द सिंह व प्रमोद कुमार शुक्ला, नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, वीरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू, राजेन्द्र बहादुर सिंह व तवरेज के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित

किया गया।

6. अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह, रिन्कू उर्फ अरविन्द सिंह व प्रमोद कुमार शुक्ला, नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, वीरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू, राजेन्द्र बहादुर सिंह व तवरेज के विरूद्ध धारा– 3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2025 एवं दिनांक 01.09.2015 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रुप में अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 हरिहरनाथ मिश्र, अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 आशुतोष कुमार ओझा, अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 मंगला प्रसाद चतुर्वेदी, अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 आजाद अली, अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 शकुन्तला देवी, अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 कैलाश, अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 अविनाश चन्द्र सिन्हा, अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 जनार्दन गिरी, अभियोजन साक्षी क्रमांक–9 शिवानन्द मिश्रा, अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 राजाराम द्विवेदी, अभियोजन साक्षी क्रमांक–11 हीरा सिंह को परीक्षित कराया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया और पुलिस प्रपत्रों पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये।

दिनांक	बयान साक्षी संख्या	कागज संख्या	प्रदर्श संख्या
01.04.2016	P.W.1 हरिहरनाथ मिश्र	1.प्रमाणित छायाप्रति तहरीर 2.छायाप्रति गैंगचार्ट	प्रदर्शक–1 प्रदर्श क–2
05.05.2016	P.W.2 आशुतोष कुमार ओझा	------	------
01.06.2016	P.W.3 मंगलाप्रसाद चतुर्वेदी	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–3
08.09.2016	P.W.4 आजाद अली	------	------
10.10.2017	P.W.5 शकुन्तला देवी	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–4
10.10.2017	P.W.6 कैलाश	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–5
02.01.2024	P.W.7 अविनाश चंद्र सिन्हा	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–7
02.06.2022	P.W.8 जनार्दन गिरी	-------	-------
18.07.2025	P.W.9 शिवानन्द मिश्रा	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–6
19.08.2025	P.W.10 राजाराम द्विवेदी	मूल फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–7
16.12.2025	P.W.11 हीरा सिंह	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–8

8. विशेष परीक्षण संख्या–34 सन् 2012, राज्य बनाम नरेन्द्र कुमार सिंह आदि में अभियुक्तगण का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अन्तर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू सिंह द्वारा यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया है और झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। वह निर्दोष है। अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 149, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही के न्यायालय से उसे दोषमुक्त किया गया है।

9. अभियुक्त विरेन्द्र सिंह की ओर से अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया है और झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। वह निर्दोष है। अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 149, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही के न्यायालय से उसे दोषमुक्त किया गया है।

10. अभियुक्त योगेन्द्र शुक्ला की ओर से अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व

धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया है और झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। वह निर्दोष है। अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 149, 307, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही के न्यायालय से उसे दोषमुक्त किया गया है।

11. अभियुक्त तवरेज खान की ओर से अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया है और झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। वह निर्दोष है। अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 149, 307, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही के न्यायालय से उसे दोषमुक्त किया गया है।

12. विशेष परीक्षण संख्या–238 सन् 2012, राज्य बनाम संदीप सिंह उर्फ पिन्टू सिंह आदि में अभियुक्तगण का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अन्तर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त संदीप सिंह उर्फ पिन्टू द्वारा यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन साक्षीगण

द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध झूंठा मुकदमा पंजीकृत किया है और झूंठा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। वह निर्दोष है। अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 149, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जिला भदोही के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भदोही के न्यायालय से उसे दोषमुक्त किया गया है।

13. अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर सिंह की ओर से अपने बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित जिस अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा चलाया गया है, उसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। राजनैतिक विरोधियों की साजिश व प्रभाव में होकर थानाध्यक्ष हरिहरनाथ मिश्र ने झूंठी व फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है और विवेचक द्वारा झूंठी विवेचना करके उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वादी मुकदमा हरिहर नाथ मिश्र ने विधि विरुद्ध रुप से गैंग चार्ट तैयार करते हुए झूंठा प्रपत्र तैयार कर गलत व झूंठा बयान दिया है। अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत व झूंठा बयान देकर प्रपत्रों को साबित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज ने उसके राजनैतिक विरोधियों के दबाव व प्रभाव में आकर झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट का कायम कराया गया था, जिसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

14. अभियुक्त प्रमोद शुक्ला की ओर से अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया है कि थानाध्यक्ष गोपीगंज ने साजिशन रंजिशन उसे उपरोक्त मुकदमे में नामित किया था, जिसमें वह दोषमुक्त हो चुका है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा उसके विरुद्ध गलत एवं झूंठा बयान देते हुए फर्जी प्रपत्र तैयार करके साबित किया है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज ने उसके राजनैतिक विरोधियों के दबाव व प्रभाव में आकर झूंठी प्रथम सूचना

रिपोर्ट अपराध संख्या–654/2006, धारा–147, 148, 307 व 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट का कायम कराया गया था, जिसमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।

15. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री प्रवेश कुमार तिवारी द्वारा अपना मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 लगायत क्रमांक–8 द्वारा अभियोजन के कथानक को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध हेतु गैंग चार्ट में जिन अपराध संख्याओं का उल्लेख किया गया है, उसमें अभियुक्तगण की सजा हो चुकी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विधि दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त को किसी एक अपराध के लिए भी अभियुक्त के विरुद्ध उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध हेतु मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा–7 दण्डविधि (संशोधन) अधिनियम 2013 लम्बित है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के भय के कारण लोक शांति भंग हुई। अभियुक्तगण के विरुद्ध जिस दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है, उस दिनांक को ही भरत मिलाप था, जिससे प्रमाणित है कि अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्येक अभियुक्त दुर्दांत अपराधी है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। जिन आधारों पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम का आरोप लगाया गया है, वे सभी अपराध प्रमाणित हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 कैलाश द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसके भाई की हत्या की गयी है।

16. जबकि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपना मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम का मुकदमा मात्र एक अपराध पर नहीं लग सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत संस्वीकृति नहीं लिया गया है। गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा आयुध अधिनियम के अपराधों में नहीं लगता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के किसी कृत्य से कानून एवं व्यवस्था प्रभावित नहीं हुआ है। गैंगचार्ट में

उल्लिखित अपराधों में घटना का स्थान अलग–अलग दिखाया गया है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमे में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं। प्रस्तुत मामले में जिस दिन की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, उसी दिन गैंगचार्ट तैयार किया गया है तथा उसी दिन अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति भी दी गयी है। अभियोजन द्वारा उन अपराध संख्याओं के प्रपत्र प्रस्तुत किए गये हैं, जिसके आधार पर गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा लगाया गया है। अतः जिन अपराध संख्या के आधार पर गैंगचार्ट निर्मित किया गया है, के अपराध में अभियुक्तगण की दोषमुक्त हो गयी है, ऐसे में उन अभियुक्तगण को गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा–3(1) के प्राविधान के अनुरुप प्रथम सूचना रिपोर्ट अविधिक है तथा प्रस्तुत मामले में जो गैंग चार्ट बना है, वह कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति 16 दिन बाद मजिस्ट्रेट को भेजी गयी है जो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना गोपीगंज थाने में नियुक्त विवेचक द्वारा की गयी है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी वहीं पर पदस्थ अधिकारी द्वारा अंकित की गयी है जो कि मामले को संदेहास्पद बनाती है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

17. **प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–**

1– क्या अभियुक्त तवरेज खाँ अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है–

(i)– मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 3097 व 120 बी. भा०दं० सं० व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज जिला भदोही, मुकदमा अपराध संख्या–84/2000, धारा–396, 307, 412 भा०दं०सं० थाना ज्ञानपुर जिला भदोही के अन्तर्गत पंजीकृत करके आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(ii)– क्या अभियुक्त योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सोनू उर्फ डब्बू अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के

अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है: मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज जिला भदोही, मुकदमा अपराध संख्या–557/06, धारा–25/27 आयुध अधिनियम थाना गोपीगंज, जिला भदोही में पंजीकृत करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(iii)– क्या अभियुक्त विरेन्द्र सिंह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है– मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज जिला भदोही, मुकदमा अपराध संख्या–577/04, धारा–302 भा०दं०सं० थाना–विन्ध्याचल जिला मिर्जापुर में पंजीकृत करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(iv)– क्या अभियुक्त नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है– मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट, मुकदमा अपराध संख्या–655/06, धारा–25/27 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या–656/06 धारा–5 विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम, थाना गोपीगंज जिला भदोही में पंजीकृत करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(v)– क्या अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम

की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है: मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 307, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट थाना गोपीगंज जिला भदोही में पंजीकृत करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(vi)– क्या अभियुक्त प्रमोद शुक्ला अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध करते हैं, जो इस प्रकार है– मुकदमा अपराध संख्या–654/94, धारा–147, 148, 307, 120 बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट, थाना गोपीगंज जिला भदोही, मुकदमा अपराध संख्या–377/04, धारा– 302 भा०दं०सं० थाना–विन्ध्याचल, जिला–मिर्जापुर में पंजीकृत करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

<u>विवेचन एवं निस्तारण विचारणीय बिन्दु संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</u>

18. सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु, सभी विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

19. सर्वप्रथम यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में 11 अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप, डाक्टर उर्फ उदयभान, नरेन्द्र उर्फ कक्कू, योगेन्द्र, लल्लन मिश्रा, तवरेज, रिंकू उर्फ अरविन्द, विरेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार शुक्ला, महेन्द्र सिंह व राजेन्द्र बहादुर सिंह अंकित है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में दो सेट में आरोप–पत्र कुल 9 अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित किए गये हैं। प्रथम आरोप–पत्र अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार उर्फ कक्कू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला, राजेन्द्र बहादुर व तवरेज के विरुद्ध संस्थित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया है। दूसरे आरोप–पत्र अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ संदीप, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह, रिंकू उर्फ अरविन्द, प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध संस्थित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया है।

20. सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012 में अभियुक्त रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह तथा सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012 में अभियुक्त राजेन्द्र बहादुर सिंह की दौरान विचारण मृत्यु होने के फलस्वरुप प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही उनके विरुद्ध समाप्त की जा चुकी है।

21. उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी हरिहर नाथ मिश्रा जो कि सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 तथा सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 हैं, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह दिनांक 30.11.2006 को वह थानाध्यक्ष गोपीगंज के पद पर तैनात था। उस दिन संबंधित गैंगचार्ट जिसके सदस्य क्रमशः डॉक्टर उर्फ उदयभान सिंह, नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बबलू, योगेन्द्र शुक्ला, लालन मिश्रा, तवरेज, रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह, विरेन्द्र सिंह, प्रमोद कुमार शुक्रा, महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह है, को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी भदोही को भेजा, जो उसे अनुमोदन पश्चात् प्राप्त हुआ। साक्षी द्वारा कहा गया कि आप अपने गिरोह के सदस्यो के लिए आर्थिक भौतिक लाभ के लिए गैंग के सदस्यों को अदल बदल कर अध्याय 16, 17, 22 भा०दं०वि० में वर्णित अपराध करने के लिए अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्तगण का जनता में इतना भय है कि उनके विरूद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने हेतु साहस नहीं करता है। दिनांक 29.10.2006 को गैंगलीडर द्वारा अपने सदस्य नरेन्द्र सिंह उर्फ बबलू, योगेन्द्र शुक्ला, तवरेज, लल्लन मिश्रा व महेन्द्र सिंह को विधायक विजय मिश्रा की हत्या के लिए भेजा गया जिन्हे पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा महेन्द्र सिंह, तवरेज, लल्लन मिश्रा को मय अवैध असलहा पकड़ा गया तथा अन्य लोग भागने में सफल रहे। उक्त घटना के संबंध में मु०अ०सं० 654/2006 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 120B व 7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, मु०अ०सं०–655/2006 धारा–मु०अ०सं०– 656/2006 धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, मु०अ०सं०–657/2006 धारा 25/27 A Act पंजीकृत कराया गया। घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोगों व पूर्ववर्ती अभियोगो के आधार पर गैंगचार्ट बनाया गया। सभी अभियोग के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये। उसके द्वारा पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर व अन्य सदस्यों के लगातार आपराधिक कृत्यों के कारण भय व आतंक समाज में बढ़ता जा रहा है। सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो

रही है। गैंगलीडर व अन्य सदस्यों के विरूद्ध धारा 3(1) गिरोह बंद का अपराध प्रथम दृष्टया पाते हुए उसके द्वारा दिनांक 30.11.2006 को तहरीर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर उसी दिन थाना गोपीगंज पर पंजीकृत करने के लिए कार्यालय कार्यलेख पर नियुक्त लेखक को दिया तथा मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 702/2006 धारा 3(1) यू०पी० गिरोहबंद आदि बनाम पिन्टू उर्फ संदीप सिंह आदि पंजीकृत हुआ। गवाह ने पत्रावली पर शामिल मिसिल मूल तहरीर के तथ्यों की पुष्टि की तथा तहरीर को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। गवाह ने पत्रावली में शामिल गैंगचार्ट कागज संख्या 5 क/1 व 5 क/2 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तस्दीक किया जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया।

22. इसी अभियोजन साक्षी हरिहरनाथ मिश्रा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 30.11.2006 थानाध्यक्ष गोपीगंज के पद पर नियुक्त था। उस दिन उसने गैंग चार्ट पिंटू उर्फ संदीप सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह, निवासी सेमरा, थाना चील, मिर्जापुर तैयार किया था। जिसमें पिंटू उर्फ संदीप सिंह गैंग लीडर था। उसके गैंग के सक्रिय सदस्य डॉक्टर उर्फ उदयभान सिंह, योगेन्द्र शुक्ला, लल्लन मिश्रा, तवरेज, रिंकू, विरेन्द्र सिंह, प्रमोद शुक्ला, रविन्द्र सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह थे। उन्होंन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। उपरोक्त अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह था। जो दिनांक 29.10.2006 को सपा विधायक विजय मिश्रा की हत्या के लिये योजना बद्ध तरीके से कस्बा गोपीगंज में फॉयर कराये। मौके से अभियुक्त नरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में अपराध संख्या–654/2006 धारा–147, 148, 307, 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता व 7 क्रि. लॉ एमेंडमेंट एक्ट विरुद्ध गैंग लीडर व उनके सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत कराया। गैंग के सदस्य नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध उसके पास से बरामद असलहा व विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में अपराध संख्या–655/06 धारा–25/27 आयुध अधिनियम व अपराध संख्या–656/06 धारा–5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा गैंग सदस्य योगेन्द्र शुक्ला के पास बरामद नाजायज असलहे, अपराध संख्या–657/06 धारा–25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया, जिसमें विवेचना के बाद आरोप पत्र प्रेषित हुआ। इसके उपरान्त

इसमें गैंग लीडर व अन्य सदस्य तवरेज के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या–84/2000 धारा–396, 307, 412 भारतीय दण्ड संहिता, थाना ज्ञानपुर व गैंग सदस्य विरेन्द्र सिंह व प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या–277/2004 धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना विन्ध्याचल मिर्जापुर, जिसमें प्रेषित आरोप पत्र संख्या–55 ए दिनांक 28.11.2007 गैंग सदस्य महेन्द्र सिंह के विरुद्ध अपराध संख्या–59/2006 धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सारनाथ, वाराणसी में प्रेषित आरोप पत्र संख्या–A61 दिनांक 21.07.2006 का आधार बनाकर गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 30.11.2006 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया गया। गैंग लीडर व गैंग सदस्यों के विरुद्ध धारा–3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम का अपराध पाकर उसके द्वारा तहरीर तैयार किया गया तथा तहरीर के आधार पर दिनांक 30.11.2006 को गैंग लीडर व उनके सदस्यों के विरुद्ध अपराध संख्या–702/2006 धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया। गैंग लीडर व उसके सदस्यों द्वारा भा.द.वि. के अध्याय–16, 17, 22 का अपराध करते हुये गैंग लीडर व उसके सदस्यों के द्वारा भौतिक, आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है तथा समाज को आर्थिक रुप से कमजोर किया जा रहा था। उसके सदस्यों के विरुद्ध कोई जन साधारण व्यक्ति गवाही देने व मुकदमा लिखाने का साहस नही कर पाता था। गैंग लीडर व उसके सदस्यों के विरुद्ध अपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिये साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की गयी। उसके द्वारा प्रेषित गैंग चार्ट दिनांक 20.11.2006 को ही अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ था। गैंग लीडर पिंटू उर्फ संदीप थे और गैंग के सक्रिय सदस्य डॉक्टर उर्फ उदयभान, नरेन्द्र सिंह उर्फ कक्कू, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू, लल्लन मिश्रा, तवरेज, रिंकू उर्फ अरविन्द सिंह, विरेन्द्र सिंह, प्रमोद शक्ला, महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह थे। मूल गैंग चार्ट उसके समक्ष है। जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। तहरीर उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। गैंग चार्ट में दर्शित अपराध संख्या–654/2006,655/2006, 656/2006, 657/2006 की चिक एफ.आई.आर. के पिछले भाग पर अंकित नकल फर्द पर मुठभेड़ व बरामदगी को ही उसने अपने तहरीर में अंकित किया था। जिसके आधार पर थाने में उसने मुकदमा अपराध संख्या–654 लगायत 657/2006 पंजीकृत कराया था। चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है, जिसकी वह पुष्टि करता है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध

दिनांक 30.11.2006 को तहरीर देकर मुकदमा अपराध संख्या–706/2006 धारा–3(1)गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध उनके समाज विरोधी क्रियाकलापों को नियंत्रण करने के लिये मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक व्याप्त था कि समाज का जनसाधारण व्यक्ति इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने व गवाही का साहस नही कर पाता था। इनकी अपराधिक गतिविधियों के कारण संसद एवं विधायक भी अपने आप को सुरक्षित नही रखते थे। गैंग लीडर व उसके सदस्य आर्थिक व भौतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिये लगातार अपराध करते व कराते हुये समाज को कमजोर कर रहे थे। गैंगेस्टर के विवेचक ने उसका बयान लिया था।

23. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में अभियोजन साक्षी आजाद अली जो कि सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 व सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 परीक्षित हुए हैं, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि घटना दिनांक 08.04.2000 की है। वह अपनी दुकान बंद करके झोले में चांदी लेकर अपने घर जा रहा था। शाम के 07:30 बजे पुराने सी०एम०ओ० ऑफिस के सामने पहुँचा तो आप आये तथा उसका झोला छीनकर भाग गये जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना ज्ञानपुर में सूचना दिया गया था। उस मुकदमे में अभियुक्तगण अनिल उर्फ बाबू, सुभाष सिंह, संजय कुमार को सजा हो चुकी है। उसका लूटा हुआ सामान उसे नहीं मिला। इस मुकदमे में पुलिस ने उससे पूछतांछ किया था। इसी साक्षी ने आगे सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में अपने मुख्य परीक्षा कहा है कि––

24. उपरोक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी शकुन्तला देवी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 व सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि उसके पति दिनांक 24.04.2006 को सबेरे 06:00 बजे टहलने निकले थे। श्री कृष्ण वाटिका के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुँची तो देखा कि वहां उसके पति की लाश पड़ी थी। वह थाने पर गई तथा रिपोर्ट लिखाई चिक FIR पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उसके पति का मर्डर किया गया था। इसी साक्षी ने आगे सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके पति रामचन्द्र यादव की उनके बड़े भाई रामजी

यादव से सम्पत्ति को लेकर विवाद रामजी यादव से चल रहा था। उसके पति रोज की तरह दिनांक 24.04.2006 को सबेरे चार बजे सुबह टहलने निकले थे। श्री कृष्ण वाटिका के पास उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि लाश वहाँ उसके पति की पड़ी है, वह थाने गई और रिपोर्ट लिखाई। तहरीर में उसने उपरोक्त बातें लिखी थी, जिसकी चिक एफ.आई.आर.6 क/21 पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उसके पति का मर्डर अरविन्द सिंह उर्फ गुल्लू, महेन्द्र सिंह, श्री निवास मौर्य, नागेन्द्र उर्फ समसेर सिंह ने हत्या की थी। अनिल यादव ने हत्या करवाया था। हत्या करने के लिए 50,000/–दिया था। दरोगा जी उसका बयान लिए थे।

25. अभियोजन साक्षीगण आजाद अली व शकुन्तला देवी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी कैलाश जो कि सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 व सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 परीक्षित हुए हैं, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि दिनांक 13.07.2004 की सायं सवा छः बजे की थी। वह और उसका बाई बऊ उर्फ कैलाश बस स्टैण्ड में गाड़ियों को जमा करने का करते थे। जब लोग गाड़ियां ले जाते थे तो स्टैण्ड का किराया वसूलते थे। उसके अलावा मौके पर उसका भाई गोलई यादव और गुहुर शुक्ला भी थे। समय करीब सवा छः बजे सायं को एक क्वालिस गाड़ी बिना नम्बर प्लेट के स्टैण्ड के पास आकर रुकी। जिस पर सामने सदस्य विधानसभा का बोर्ड लगा था तथा समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था। क्वालिस के ड्राइवर ने बैक करके स्टैण्ड के पास सड़क पर खड़ा कर दिया, उसके बाद गाड़ी में से दो व्यक्ति अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए उतरे, शेष एक दो आदमी गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी से उतरने वाले दोनों व्यक्तियों ने उसके भाई कैलाश को निशाना लगाकर अपने हाथ में लिये पिस्टल से फायर कर दिया। जिससे उसके भाई को कई गोली लगी। वह किसी तरह छिपकर जान बचाया। मौके पर उसके भाई की मृत्यु हो गई। गोली मारने के बाद बदमाश क्वालिस में बैठकर मिर्जापुर की तरफ चले गये। इस घटना को आस पास के दुकानदारों व उपस्थित बहुत से लोगों ने देखा था। उसने घटना की तहरीर बुन्देला सिंह से बोलकर लिखवाई थी। उस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बनवाकर थाने में देकर मुकदमा लिखाया था। तहरीर में उपरोक्त बातें लिखाई थी। जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। चिक एफ०आई०आर० के पिछले भाग पर मजमून अंकित है, जिस पर प्रदर्श क 5 डाला गया। साक्षी ने यह भी कथन किया है

कि उसके भाई की हत्या नरेन्द्र कुमार सिंह, पिन्टू उर्फ संदीप, डा० उदयभान सिंह ने किया था। पैसों के लिए उसके भाई की हत्या गोलियां मारकर की गई थी।

26. उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक आशुतोष कुमार ओझा जिन्हें अभियोजन द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 तथा सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 परीक्षित कराया गया है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि दिनांक 26.05.2007 को वह थानाध्यक्ष गोपीगंज के पद पर तैनात था। इस मुकदमें पूर्व विवेचक राकेश शुक्ला के स्थानांतरण के पश्चात इस मुकदमें की विवेचना उसने ग्रहण किया। उस दिन उसने विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण के रिमांड अनुरोध का अंकन किया। दिनांक 15.06.2007 को गवाह कां. रामचन्द्र मौर्या का बयान किता किया तथा इसी पर्चे में रिमांड अनुरोध का भी अंकन किया। दिनांक 16.06.2007 को अभियुक्तगण को रिमांड स्वीकृति का अंकन किया। दिनांक 12.07.2007 को अभियुक्त प्रमोद कुमार शुक्ला व महेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हेतु दबिश का अंकन किया। दिनांक 19.07.2007 को अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, योगेन्द्र शुक्ला, रिंकू सिंह उर्फ अरविन्द सिंह की जमानत सूचना का अंकन करते हुए संलग्न सी.डी.किया तथा प्रमोद शुक्ला व महेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हेतु दबिश देने का अंकना किया। दिनांक 28.07.2007 को अभियुक्तगण के वारण्ट व 82 की तामीला के बाद धारा 83 का अनुरोध किया, उसी पर्चे में गैर जमानतीय वारण्ट व 83 दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में अंकन किया तथा इसी पर्चे में अभियुक्त रिंकू सिंह उर्फ अरविन्द सिंह व गवाह श्रीमती शकुन्तला देवी का बयान अंकित किया। दिनांक 04.08.2007 के पर्चे में रिमाण्ड अनुरोध का अंकन किया जिसमें अभियुक्तगण तवरेज खां, विरेन्द्र सिंह की जमानत सूचना का अवलोकन कर संलग्न सी.डी.किया एवं अन्य अभियुक्तों के रिमाण्ड स्वीकृति का अंकन किया, इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया।

27. इस अभियोजन साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 उप निरीक्षक मंगला प्रसाद चतुर्वेदी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.01.2009 को वह थानाध्यक्ष गोपीगंज के पद पर तैनात था। मु०अ०सं०–702/2006 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट थाना गोपीगंज की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण किया गया। दिनांक 09.01.2009 को उसके द्वारा पर्चा संख्या SCD–

15 किता कर पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चे का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु एस०पी० भदोही को रिपोर्ट प्रेषित करना अंकित किया व रिपोर्ट की कार्बन प्रति संलग्न किया। दिनांक 06.03.2009 को उसके द्वारा SCD–16 किता कर मु०अ०सं० 84/2000 थाना ज्ञानपुर के आरोप पत्र व चिक की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न सीडी किया तथा मु०अ०सं० 277/2004 धारा 302 IPC के FIR लेखक कॉ० पंकज कुमार व विवेचक गोपाल सिंह का बयान अंकित किया मु०अ०सं०–277/2004 के चिक FIR की छायाप्रति प्रमाणित को संलग्न सी०डी० किया। दिनांक 09.03.2009 को उसने पर्चा संख्या SCD–17 किता कर गवाह लेखक FIR हेड मोहर्रिर कां० दूधनाथ सिंह का बयान अंकित किया। उसी पर्चे में विवेचक के संकलित साक्ष्य के आधार पर आपके विरूद्ध धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण विरूद्ध अंतर्गत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का आरोप पत्र दिनांक 09.03.2009 को अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया। साक्षी द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है।

28. उल्लेखनीय है कि विवेचक आशुतोष कुमार ओझा के अतिरिक्त अन्य विवेचकगण का साक्ष्य दोनों सत्र परीक्षण संख्या–238/12 एवं 34/12 की पत्रावलियों को समेकित किए जाने के पश्चात अंकित किए गये हैं जो कि अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 प्रमोद कुमार मिश्रा व अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 अविनाश चन्द्र सिन्हा व अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 जनार्दन गिरी, अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 राजाराम द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है। विवेचक प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 अपने मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि दिनांक 29.10.2006 को वह थाना गोपीगंज में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं० 655/06 धारा–25/27 आर्म्स एक्ट कायम होकर विवेचना उप निरीक्षक के०पी०सिंह को सौंपी गयी थी, उनके स्थानान्तरण के बाद उनके मुकदमे अपराध संख्या–655/06, धारा–25/27 आर्म्स एक्ट, अपराध संख्या–656/06 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम, अपराध संख्या–657/06, धारा–25/27 आर्म्स एक्ट, अपराध संख्या–654/06 धारा–147, 148, 307, 120 बी.भा०दं०सं० व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट की उसे सुपुर्द की गयी, जिसकी विवेचना करके उपरोक्त मुकदमे में उसके द्वारा आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित किया गया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न आरोप–पत्र संख्या–

131/06,132/06,133/06 व आरोप पत्र संख्या–134/ 06 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि किया कि ये वही आरोप पत्र हैं, जिसे उसके द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया है। जिस पर क्रमशः 6क/1,6क/2,6क/3 डाला गया है। शेष सम्बन्धित पत्रावलियों में उसकी गवाही हो चुकी है।

29. उपरोक्त साक्षी मंगला प्रसाद चतुर्वेदी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 अविनाश चन्द्र सिन्हा,जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं,के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2006 में वह गोपीगंज में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ था। दिनांक 13.08.2007 को वह पर्चा नं० 25 किता किया उस दिन अपराध संख्या 702/2006 की विवेचना उसने ग्रहण की तथा पूर्व में किता किये पर्चे का अवलोकन किया। पर्चा नं० 26 13.09.2007 किता कर आपके बयान हेतु अनुमति न्यायालय में प्रेषित की। पर्चा नं० 27 दिनांक 29.09.2007 को किता कर आपकी न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय को प्रेषित किया गया। पर्चा नं० 27–A दिनांक 29.09.2007 को किता कर अभियुक्त उदय सिंह उर्फ डॉक्टर सिंह का बया अंकित किया गया। अभियुक्त पिन्टू सिंह जेल से रिमाण्ड हेतु उपस्थित नहीं आया। अग्रिम तिथि 06.10.2007 को दबिश दी गई। पर्चा नं० 28 दिनांक 06.10.2007 किता कर अभियुक्त पिन्टू सिंह का रिमाण्ड दिनांक 17.11.2007 तक स्वीकृत होना अंकित किया गया। पर्चा नं० 28–A दिनांक 06.10.2007 को किता कर अभियुक्त पिन्टू उर्फ संदीप सिंह एवं प्रमोद कुमार शुक्ला का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं० 29 दिनांक 28.10.2007 को किता कर अभियुक्त मिश्रा के घर पर दबिश हेतु गया परन्तु मौजूद नहीं मिला। अभियुक्त महेन्द्र सिंह की मृत्यु पुलिस एन्काउन्टर हो गयी, ऐसा पता चला था। इसके संबंध में थाना सारनाथ वाराणसी जनपद से कागजात मंगवाया गया। पर्चा नं० 31 दिनांक 17.11.2007 को किता कर रिमाण्ड का पर्चा किता किया। पर्चा नं० 2 दिनाक 18.11.2007 को किता कर मु०अ०सं० 84/2000 धारा 396, 307, 412 थाना ज्ञानपुर के वादी आजाद अली और रामदुबोर का बयान अंकित किया गया। SHO आफताब अहमद का बयान अंकित किया गया, जो कि उपरोक्त मुकदमा के विवेचक है। पर्चा संख्या 33 दिनांक 22.11.2007 को किता पर्चा में मु०अ०सं० 277/2004 धारा 302 IPC थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर के वादी मुकदमा एवं गवाह मुकदमा, उनके विवेचक शिवानन्द मिश्रा का बयान अंकित किया गया। उप निरीक्षक मु०अ०सं०

702/2006 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मुल्जिम पिन्टू सिंह उर्फ संदीप सिंह, डॉक्टर सिंह उर्फ उदयभान सिंह, रिन्कू उर्फ अरविन्द सिंह, प्रमोद कुमार शुक्ला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 135/2007 अंतर्गत धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट दाखिल किया गया। पर्चा नं० 34 दिनांक 04.12.2007 को किता कर अभियोजन स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

30. इस साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 जनार्दन गिरी जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं,के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि दिनांक 05.12.2006 को वह थानाध्यक्ष ऊंज के पद पर नियुक्त था। मुकदमा अपराध संख्या 702/2006 धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना थानाध्यक्ष को क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के आदेश से उसे प्राप्त हुई, जिसकी विवेचना उसने दिनांक 05.12.2006 को तत्कालीन प्रभाव से ग्रहण करते हुए पर्चा संख्या 3 किता किया तथा पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित पर्चों का अवलोकन भी किया। दिनांक 16.12.2006 को पर्चा संख्या 4 किता किया तथा अभियुक्त नरेन्द्र कुमार उर्फ कक्कू, राजेन्द्र बहादुर सिंह, जोगेन्द्र कुमार उर्फ साढू उर्फ डब्बू व अभियुक्त पिन्टु उर्फ संदीप सिंह व अभियुक्त तबरेज अहमद व अभियुक्त उदयभान सिंह उपरोक्त अभियोग में वारेण्ट बनाने हेतु वारण्ट बी सर्च कराया गया। दिनांक 17.12.2006 को पर्चा नम्बर 5 किता किया। इसी दिन अभियुक्त पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह, ओमेन्द्र शुक्ला, नरेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू व अभियुक्त तबरेज का उपरोक्त अभियोग में स्पेशल जज वाराणसी के न्यायालय में वारेण्ट बनवाया गया। अभियुक्त डॉक्टर उर्फ उदयभान सिंह जिन्से लखनऊ कारागार से आना था, वे नहीं आए। जिसके कारण उक्त वारेण्ट नहीं बन पाया। दिनांक 03.01.2007 पर्चा नम्बर 7 में मूल विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 702/06 गैंगेस्टर एक्ट, अपराध संख्या– 654/06 धारा 147, 148, 307, 120 बी, भारतीय दण्ड संहिता व मुकदमा अपराध संख्या–655 सन् 2006 धारा–25/27 आर्म्स एक्ट, अपराध संख्या 656/2006 धारा–5 विस्फोटक अधिनियम, अपराध संख्या 657/2006 धारा–25 आर्म्स एक्ट के वादी एस०ओ० हरिहरनाथ मिश्र थानाध्यक्ष गोपीगंज का बयान थाना गोपीगंज जाकर दर्ज किया। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना का समर्थन किया। दिनांक 14.01.2007 को पर्चा नम्बर 7 में मुकदमा उपरोक्त के लेखक एफ०आई०आर० लेखक

हीरा सिंह तैनाती गोपीगंज का बयान दर्ज किया। जिसमें गवाह ने मुकदम उपरोक्त का स्वयं के हस्तलेख में चिक किता करने की पुष्टि की। इसके बाद चौकी जंगीगंज पहुंचकर उपरोक्त मुकदमा के विवेचक प्रमोद कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी जंगीगंज का बयान दर्ज किया। जिसमे उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 654/07, 655/06, 656/07, 657/06 के प्रथम सूचना का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 133 दिनांक 30.11.2006 को प्रेषित किया। दिनांक 03.02.2007 पर्चा नम्बर 8 में पिन्टू सिंह उर्फ सन्दीप सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह, जोगेन्द्र कुमार शुक्ला, नरेन्द्र कुमार उर्फ ककू, अभियुक्त तबरेज का रिमाण्ड दिनांक 03.02.2007 तक स्वीकृत हुआ था।

31. अभियोजन साक्षी क्रमांक–9 शिवानन्द मिश्रा के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2006 में वह बतौर थानाध्यक्ष थाना सारनाथ, उसे मुकदमा अपराध संख्या–59/2006, अन्तर्गत धारा 302 भा.दं. वि. थाना–सारनाथ की विवेचना प्राप्त हुई। उसने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अनिल यादव, महेन्द्र सिंह, नागेन्द्र कुमार सिंह और श्रीनिवास मौर्या के विरुद्ध आरोप पत्र सख्या–61/2006, दिनाक 21.07.2006 को प्रेषित किया था। मुकदमा अपराध सख्या–702/2006, अन्तर्गत धारा–3(1) गैंगस्टर अधिनियम, थाना गोपीगंज, जनपद–भदोही के गैंगचार्ट में उक्त मुकदमा शामिल है उक्त मुकदमें में अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेत सिंह निवासी कल्याणपुर, थाना सारनाथ, जनपद–वाराणसी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में दिनांक–04.09.2007 को घुरहूपुर, थाना सारनाथ, जनपद–वाराणसी में हो गयी है। इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध सख्या–290/2007, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०वि०, थाना–सारनाथ, जनपद– वाराणसी में पंजीकृत है। गैंगेस्टर के मुकदमें के विवेचक द्वारा साक्षी ने स्वयं का बयान लिया जाना कहा है। विवेचना के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि महेन्द्र सिंह भिन्न भिन्न गिरोहों में शामिल होकर अलग–अलग घटनाओं को अंजाम देता था। पत्रावली में सलग्न आरोप पत्र मुकदमा अपराध सख्या–59/2006, अन्तर्गत धारा–302/120B IPC, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी की आरोप पत्र की प्रमाणित छायाप्रति सलग्न है जिसे देखकर साक्षी ने पुष्टि की, जिसपर प्रदर्श–क–6 डाला गया।

32. अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 राजाराम द्विवेदी द्वारा भी प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना की गयी है, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह सन् 2008 में

थाना गोपीगंज में बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या 702 सन् 2006 अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की विवेचना दिनांक 03.09.2008 को आदेशानुसार जिला अधिकारी, भदोही, अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर की अचल सम्पत्ति एक किता मकान स्थित ज्ञानपुर दो मंजिला कुर्क कर कब्जा पुलिस द्वारा लिया गया था। मौके पर क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर रविन्द्र कुमार वर्णवाल, एस०एच०ओ० ज्ञानपुर राम मनोहर थापा एवं एस०ओ० ऊंज आशुतोष कुमार ओझा तथा तहसीलदार ज्ञानपुर उदयभान सिंह एव जनता के गवाह संजय यादव एव गोले हरिजन की मौजूदगी में उक्त मकान, कीमत करीब आठ लाख, में ताला लगाकर निलामी का बोर्ड लगाया गया था तथा एक किता जमीन आराजी सख्या–416 भी कब्जा पुलिस में ली गयी थी। उक्त कार्यवाही का प्रशासक राम मनोहर थापा, थाना प्रभारी ज्ञानपुर, को नियुक्त किया गया था। मौके पर सील मुहर किया गया था। सुपुर्दगी थापा को दी गयी थी। फर्द मौके पर लिखकर, पढकर, सभी को सुनाकर, फर्द पर हस्ताक्षर बनवाया गया था। साक्षी को पत्रावली में शामिल मिसिल मूल फर्द दिखाया गया जिसका उल्लेख केस डायरी में भी किया गया है जिसको देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनांक 04.10.2008 को पूरक पर्चा संख्या किता किया गया, जिसमें कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं है, इसके बाद उसका स्थानातंरण हो गया।

33. अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 हीरा सिंह को जो कि प्रस्तुत प्रकरण के चिक लेखक हैं,के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि दिनांक 30.11.2006 को वह कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर थाना गोपीगंज पर तैनात था। उस दिन उसने वादी एस०ओ० श्री हरिहरनाथ मिश्रा के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–702 सन् 2006,धारा–3(1)गैंगेस्टर एक्ट विरुद्ध पिन्टू उर्फ संदीप सिंह, डॉक्टर उर्फ उदयभान सिंह, नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू उर्फ डब्लू,महेन्द्र सिंह, राजेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपने हस्तलेख में पंजीकृत किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के पृष्ठ भाग पर तहरीर अक्षरशः उसके द्वारा अंकित किया गया है जो पत्रावली में कागज संख्या–4 अ/1 शामिल मिसिल है। साक्षी ने उपरोक्त प्रपत्र पर बने अपने लघु हस्ताक्षर की पुष्टि की,जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। जी०डी० कायमी भी उसके द्वारा किता किया गया था,किन्तु उसके सामने उसकी प्रति नहीं है।

विवेचक ने उसका बयान लिया था।

34. यहाँ पर **उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण) अधिनियम,1986 की धारा–2(ख)** अवलोकनीय है जो यह प्रावधानित करती है कि,"गिरोह" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है,जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी(टेम्पोरल), आर्थिक,भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रुप से हिंसा,या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन,या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं,अर्थात–

(i) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) के अध्याय 16 या अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध;या

(ii) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1990 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रापिक सब्सटैन्सेज ऐक्ट, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) था तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्मात या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना;या

(iii) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना; या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करता;या

(v) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार एमन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 104 सन् 1956) के अधीन दण्डनीय अपराधः या

(vi) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(vii) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए या माल के सम्भरण या किये जाने वाले कार्य के लिए विधिपूर्वक संचालित किसी नीलामी में बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गये

टेण्डर देने से किसी व्यक्ति को रोकना; या

(viii) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना; या

(ix) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 171–ङ के अधीन दण्डनीय अपराध या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना था उसमें बाधा डालना; या

(x) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(xi) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना; या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना था उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना;या

(xiii) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना; या

(xiv) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण था अपहरण करना; या

(xv) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानों को उसके पूर्वनिर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(xvi) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xvii) गोवध निवारण अधिनियम,1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(xviii) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(xix) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xx) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(xxi) नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्त्रर्ग्रस्त होना;

(xxii) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला–बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्त्रर्ग्रस्त होना;

(xxiii) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(xxiv) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xxv) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।]

35. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू उर्फ डब्बू के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा–3(1)के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दो मुकदमा अपराध संख्या का आधार लिया गया है,जिसमें से मुकदमा अपराध संख्या–557/06, धारा–25/27 आयुध अधिनियम भी है। इसी प्रकार अभियुक्त नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू के विरुद्ध भी तीन मुकदमा अपराध संख्या का आधार इस अधिनियम की धारा–3(1)के अन्तर्गत लिया गया है,जिसमें से दो मुकदमा, मुकदमा अपराध संख्या–655/06,धारा–25/27 आयुध अधिनियम व मुकदमा अपराध संख्या–656/06,धारा–5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है। जबकि उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,1986 की धारा–2(बी) में दी गयी सूची में आयुध अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत किया गया अपराध वर्णित नहीं है।

36. यहाँ पर प्रदर्श क–1 का अवलोकन आवश्यक है,जिसमें अभियुक्तगणों पर गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज् कराने के कई आधार लिए गये हैं, उन आधारों में से एक आधार यह है कि गैंग सदस्य तवरेज आदि ने अपने साथियों के साथ दिनांक 08.04.2000 को आजाद अली के पास गाड़ी व गहने की लूट के द्वारा मारपीट करके मौके पर एजाज की मृत्यु तथा वादी व अन्य लोग घायल हुये। जिस पर मुकदमा अपराध संख्या–84/2000 धारा–396,307,412 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज हुई। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी आजाद अली के बतौर साक्षी सत्र परीक्षण संख्या–

34/12 में अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 एवं सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि "मुकदमा अपराध संख्या–84/2000 में मौके पर कौन–कौन थे, पहचान नहीं पाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने अज्ञात में लिखायी थी।"इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि, "अभियुक्त तवरेज को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। मुकदमा अपराध संख्या–84/2000 में संदीप सिंह उर्फ पिन्टू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला, प्रमोद शुक्ला, अरविन्द सिंह उर्फ रिंकू नहीं थे, ना ही ये लोग घटना में शामिल थे। मुकदमा अपराध संख्या–84/2000 में राजेन्द्र बहादुर सिंह मुल्जिम नहीं थे। राजेन्द्र बहादुर सिंह को वह नहीं पहचानता है। मुकदमा अपराध संख्या–84/2000 में नरेन्द्र उर्फ कक्कू व उदयभान सिंह शामिल नहीं थे।

37. तहरीर प्रदर्श क–1 जो कि बावत गैंगेस्ट एक्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है, में अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु कई आधारों में एक आधार यह लिया गया है कि गैंग के सदस्य विरेन्द्र सिंह तथा प्रमोद कुमार शुक्ला आदि ने दिनांक 13.07.2004 को वाहन स्टैण्ड पर पैसा वसूलने के प्रकरण में बउ उर्फ कैलाश की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मुकदमा अपराध संख्या–277/04, अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। गैंग के सदस्य महेन्द्र सिंह द्वारा अपने साथियों सहित दिनांक 24.04.2006 को रामचन्द्र यादव की सम्पत्ति विवाद में हत्या कर दिया। उनकी पत्नी शकुन्तला देवी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–59/06 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं०पंजीकृत कराया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी शकुन्तला देवी जिनको सत्र परीक्षण संख्या–238/12 में अभियोजन द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 व सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी शकुन्तला देवी के प्रतिपरीक्षण के कथन यहाँ पर अवलोकनीय हैं, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि "मेरे पति का अपने बड़े भाई से जमीन का विवाद था, इसी जमीनी विवाद के कारण अनिल यादव ने हत्या कराई थी।"इस हत्या वाले मुकदमे में सभी बरी हो गये हैं, मात्र अनिल यादव को छः माह की सजा हुई थी।"इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह मौजूद नहीं थी। उसने योगेन्द्र शुक्ला, अरविन्द सिंह उर्फ रिंकू, संदीप उर्फ पिन्टू, प्रमोद शुक्ला का नाम कभी नहीं सुना है। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि साजिश

करने वाला उसका भतीजा अनिल यादव है। अनिल यादव के साथियों का नाम बताया था। वह किसी साजिशकर्ता को नहीं जानती। अभियोजन साक्षी शकुन्तला देवी ने सत्र परीक्षण संख्या–34/12 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जब वह थाने में मुकदमा लिखाने गयी थी तो किसी अभियुक्त का नाम नहीं लिखाया था, तहरीर उन्होंने स्वयं लिखी थी या किसी से लिखायी थी, याद नहीं है। कक्कू सिंह का नाम विवेचना में आया था या नहीं, वह नहीं, वह नहीं बता सकती। जो मुकदमा उसने लिखाया था, उसमें अभियुक्त छूट गये हैं।

38. यहाँ पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी कैलाश के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय हैं, जिसमें उसके द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने अपने भाई को गोली मारने वालों को पहचाना था। उसने रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिखाया था। उस मुकदमे में सभी अभियुक्त छूट गये। साक्षी ने उपस्थित अभियुक्तगण प्रमोद शुक्ला व नरेन्द्र सिंह को भीड़ में देखकर कहा कि इस भीड़ में उपस्थित किसी ने उसके भाई को गोली नहीं मारा था। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने घटना देखी थी, उसने अपनी रपट में साजिशकर्ता का नाम नहीं लिखाया था। उसने उदयभान का नाम रपट में नहीं लिखाया था। उसने नरेन्द्र सिंह का नाम नहीं लिखाया था। उसने पुलिस को नरेन्द्र, व उदयभान का नाम नहीं बताया था। पुलिस को किसी गैंग सदस्य का नाम नहीं बताया था। इस मुकदमे में नरेन्द्र सिंह, उदयभान अभियुक्त थे, सभी अभियुक्तगण दोषमुक्त हो गये हैं। इसी अभियोजन साक्षी कैलाश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने मुकदमा अज्ञात में लिखाया था। पुलिस को उसने किसी अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया था। उसे मुल्जिमानों का नाम आरोप–पत्र से पता चला। उसने आरोप–पत्र में नाम देखा था। उसी आधार पर न्यायालय में बयान दिया है। इसके अलावा अभियुक्तगण के बारे में वह कुछ नहीं जानता। इस हत्या के मुकदमे में सब बरी हो गये हैं। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला, तवरेज का नाम कभी नहीं सुना। वह राजेन्द्र बहादुर को ना ही जानता है, ना ही पहचानता है।

39. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा हरिहरनाथ मिश्रा हैं जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के समय थानाध्यक्ष गोपीगंज थे। प्रस्तुत प्रकरण गोपीगंज

थाने का है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना आशुतोष कुमार ओझा, मंगला प्रसाद चतुर्वेदी, अविनाश चन्द्र सिन्हा व राजाराम द्विवेदी के अतिरिक्त जनार्दन गिरी द्वारा की गयी है। जिनमें से विवेचक आशुतोष कुमार ओझा द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि उनके द्वारा थानाध्यक्ष गोपीगंज रहते हुए मामले की विवेचना की गयी है। विवेचक अविनाश चन्द्र सिन्हा द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि दौरान विवेचना वह थाना गोपीगंज में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 विवेचक राजाराम द्विवेदी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि दौरान विवेचना वह थानाध्यक्ष गोपीगंज में तैनात रहे हैं। इसी प्रकार विवेचक मंगला प्रसाद चतुर्वेदी बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012 में परीक्षित हुए हैं, जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह विवेचना के समय थाना गोपीगंज में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक जनार्दन गिरी के अतिरिक्त अन्य जो चार विवेचकगण हैं, वे जहाँ पर प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा पदस्थ थे, उसी थाने में विवेचना के दौरान पदस्थ रहे हैं। अभियोजन द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अधिकतर विवेचना इन्हीं चार विवेचकगणों द्वारा की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना अन्य किसी थाने से क्यों नहीं कराई गई। जहाँ तक विवेचक जनार्दन गिरी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की, की गयी विवेचना का प्रश्न है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि विवेचना के समय जनार्दन गिरी थाना–ऊँज में पदस्थ थे और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में मात्र पर्चा 3 लगायत 7 किता करते हुए अभियुक्तगण का वारण्ट बी.सर्व कराया गया है, वादी मुकदमा हरिहरनाथ मिश्र का बयान लिया गया है व विवेचक प्रमोद कुमार पाण्डेय का बयान दर्ज कर अभियुक्तगण का रिमाण्ड लिया गया है।

40. अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए कार्य किए जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा अभियोजन साक्षी हरिहरनाथ मिश्रा, जो कि सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 परीक्षित कराये गये हैं, के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि , "अभियुक्त विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला व तवरेज की आर्थिक हैसियत

के बारे में विवेचक बता सकते हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मुकदमा अपराध संख्या–654/2006 के पूर्व अभियुक्त योगेन्द्र शुक्ला, विरेन्द्र सिंह व प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध कहीं मुकदमा पंजीकृत था या नहीं। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्त योगेन्द्र शुक्ला हण्डिया का रहने वाला है, उसका घर किस गांव में है, इसकी जानकारी नहीं है। विरेन्द्र सिंह ग्राम सेमरा के रहने वाले हैं, तवरेज मिर्जापुर का रहने वाला है, सही पता नहीं मालूम। अभियुक्तगण द्वारा अपराध करके क्या सम्पत्ति अर्जित की गयी है, इसकी जांच उसने नहीं किया है। यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 हरिहरनाथ मिश्रा के सत्र परीक्षण संख्या 34/2012 में प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–6 कथन अवलोकनीय है, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि "मैंने गैंग चार्ट बनाने के पहले उदयभान व नरेन्द्र सिंह की सम्पत्ति के बारे में कोई ब्योरा इकट्ठा नहीं किया था। मैं नरेन्द्र सिंह, उदयभान की सम्पत्ति के बारे में कोई विवरण नहीं दे सकता। गैंग चार्ट तैयार करने से पूर्व जनता का कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दरख्वास्त नहीं दिया था। यहाँ पर सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 के अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 आशुतोष कुमार ओझा जो कि प्रकरण के विवेचक हैं, के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि, विवेचना के दौरान अरविन्द सिंह उर्फ रिंकू सिंह के घर गया था या नहीं, याद नहीं है। विवेचना के दौरान संदीप सिंह उर्फ पिन्टू जेल में था। उसके घर नहीं गया था। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि "मुझे अभियुक्त अरविन्द उर्फ रिंकू, प्रमोद शुक्ला, पिन्टू उर्फ संदीप सिंह की सम्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

43. यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 मंगला प्रसाद चतुर्वेदी जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक भी हैं, उनके सत्र परीक्षण संख्या–34/2012 के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय है, के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि नरेन्द्र के खिलाफ केवल पुलिस वालों का बयान लिया था। पब्लिक का बयान नहीं लिया था। नरेन्द्र के पास कोई बरामदगी नहीं थी। नरेन्द्र की चल–अचल सम्पत्ति की कोई जाँच नहीं की थी।

44. यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 जनार्दन गिरी जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक भी हैं, उनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि इस मुकदमे में नामित अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। मैंने किसी अभियुक्त का बयान लिया था ना उसकी सम्पत्ति की जाँच की थी। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह किसी अभियुक्त के घर नहीं गया था। उसने किसी अभियुक्त के चल–अचल सम्पत्ति

की जानकारी नहीं किया था। प्राइवेट किसी शिकायतकर्ता का बयान नहीं लिया था। उसे ध्यान नहीं है कि उससे जनता के किसी व्यक्ति ने शिकायत किया था या नहीं ।

45. अभियोजन साक्षी क्रमांक–9 शिवानन्द मिश्रा के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि ,"यह बात सही है कि अपराध संख्या–59/2006, अन्तर्गत धारा–302/120 बी भा०दं०सं० के मुकदमे में नामित अभियुक्त नहीं थे और न ही इनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण से उपरोक्त अभियुक्तगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अभियुक्त महेन्द्र सिंह की दौरान विचारण मृत्यु हो चुकी है। मुकदमा अपराध संख्या–59/2006 के मुकदमे में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध मैंने कोई कार्यवाही नहीं किया था, ना ही मैंने उपरोक्त अभियुक्तगण के सम्बन्ध में कोई जानकारी हासिल किया था।

46. यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–10 राजाराम द्विवेदी जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं, के मुख्य परीक्षण के कथन अवलोकनीय हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि दिनांक 03.09.2008 को जिलाधिकारी भदोही के आदेशानुसार अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर की अचल सम्पत्ति एक किता मकान स्थित ज्ञानपुर दो मंजिला कुर्क कर कब्जा पुलिस द्वारा लिया गया था। इसी अभियोजन साक्षी राजाराम द्विवेदी के प्रतिपरीक्षण के कथन भी अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि "जो मकान हम लोग कब्जा में लेने गये थे, उसमें पहले से ताला बंद था। मकान मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने इस मकान का कब्जा लेने से पूर्व कभी जाँच पड़ताल किया था। किस तारीख को किया था, मुझे तारीख महीना याद नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल किया था कि यह मकान पैतृक सम्पत्ति है या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई प्रपत्र हासिल नहीं किया था। जबकि अभिलेख पर अभियुक्त उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर द्वारा अपील संख्या–01 सन् 2009, उदयभान उर्फ डाक्टर सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय की प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें अभियुक्त उदयभान उर्फ डाक्टर सिंह को प्रश्नगत आराजी संख्या–332 में ज्ञानपुर स्थित मकान के सम्बन्ध में की गयी कुर्की के आदेश को निरस्त किया गया है।

47. यहाँ पर अभियोजन साक्षी अविनाश चन्द्र सिन्हा जिनको अभियोजन द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–238/2012 में बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 परीक्षित कराया गया है, के प्रतिपरीक्षण के कथन अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि" इस

मुकदमे के दौरान गोपीगंज थाने पर तैनात था।"इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे यह याद नहीं है कि दौरान विवेचना उदयभान सिंह की चल–अचल सम्पत्ति के बारे में कोई विवरण इकट्ठा किया था या नहीं। उसे उदयभान सिंह व अन्य अभियुक्तगण के चाल व चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

48. यहाँ अभियोजन साक्षी जनार्दन गिरी जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं, के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि "मैंने स्वयं जनता के किसी व्यक्ति का बयान उदयभान की गतिविधि के बारे में नहीं लिया था।"

49. यहाँ पर **उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 4** अवलोकनीय है जो यह प्रावधानित करता है कि–

(क) न्यायालय इस तथ्य को ध्यान रख सकता है कि अभियुक्त–

(i) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन आबद्ध किया गया था; या

(ii) निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया था; या

(iii) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970(अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) या ऐसे किसी अन्य विधि के अधीन बहिष्कासित किया गया था;

(ख) जहाँ यह साबित हो जाय कि किसी गिरोहबन्द या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास किसी समय इतनी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या रही है जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, या जहाँ उसके वित्तीय साधन उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है, वहाँ न्यायालय जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या वित्तीय साधन गिरोहबन्द के रुप में उसके क्रियाकलाप से अर्जित या प्राप्त किया गया है ;

(ग) जहाँ यह साबित हो जाये कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह फिरौती के लिये किया गया था;

(घ) जहाँ यह साबित हो जाये कि किसी गिरोहबन्द ने किसी व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाया या परिरुद्ध किया है, वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि गिरोहबन्द यह जानता था कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, व्यपहृत या अपहृत किया गया था;

(ड.) यदि न्यायालय, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना उचित समझे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, किन्तु

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहे तो साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिये पुनः बुलाया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा पुनः अभिलिखित करना आवश्यक न होगा।

50. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर अधिनियम संख्या–7/86 के प्रवर्तन के उपरांत अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत एक गिरोह बनाये हैं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने व अपने गिरोह के आर्थिक भौतिक लाभ के लिए बल, हिंसा, अभित्रास आदि के द्वारा लोक शांति भंग करके तथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 में निहित अपराध कारित किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र०गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

51. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन, अभियुक्तगण संदीप सिंह उर्फ पिन्टू, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह एवं प्रमोद शुक्ला को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012, तथा अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ सानू व तवरेज को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012 मुकदमा अपराध संख्या–702 2012, में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण संदीप सिंह उर्फ पिन्टू, डाक्टर उर्फ उदयभान सिंह एवं प्रमोद शुक्ला को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–238 सन् 2012, तथा अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ कक्कू, विरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र शुक्ला उर्फ शानू व तवरेज खां को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012 मुकदमा अपराध संख्या–702 सन् 2006, में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–गोपीगंज, जिला भदोही के अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437A के अनुपालन में मु० 25,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू इस निर्णय के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाये, जो अपील अवधि तक प्रभारी रहेगा।

इस निर्णय की एक प्रति विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34 सन् 2012, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ ककू आदि की पत्रावली पर रखा जाये।

दिनांक 31.03.2026

(पुष्पा सिंह)
विशेष न्यायाधीश(एम.पी./एम.एल.ए.)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक 31.03.2026

(पुष्पा सिंह)
विशेष न्यायाधीश(एम.पी./एम.एल.ए.)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court